न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 19/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री रामहेत उम्र 33 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 30.1.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री रामहेत पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मोठपुर क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना मोठपुर मे वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 4 प्रकरण (1 मारपीट एवं 3 जुआ सट्टा) दर्ज हुये है। उक्त जुआ सट्टा से संबंधित 3 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका। इसके विरूद्व धारा 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। गैरसायल की अपराधिक गतिविधिया फिर भी जारी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0 दिनांक
1.	11/4.2.2009	323, 325, 504, 34 आई.पी.सी.	14/19.2.2009
2.	111/29.9.2010	13 आरपीजीओ	83/30.9.2010
3.	123/7.9.2014	13 आरपीजीओ	98/10.9.2014
4.	45/27.3.2015	13 आरपीजीओ	38/30.3.2015
5.	इस्तगासा	110 सी.आर.पी.सी.	8.3.2016

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 3 प्रकरणो मे अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य मे मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 1.7.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ मे वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 4 प्रकरण (1 मारपीट एवं 3 जुआ सट्टा)दर्ज हुये है। उक्त 4 प्रकरणो मे से 3 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि पुलिस थाना मोठपुर ने गैरसायल के विरूद्व उक्त इस्तगासा माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है तथा खारिज होने योग्य है। गैरसायल के विरूद्व उक्त कार्यवाही देषता वश झूठे तथ्यों के आधार पर की गयी है। गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा मे चार प्रकरण दर्ज होना बताकर उक्त कार्यवाही की गयी है। जबकि उक्त चारो प्रकरण मे 3 प्रकरण धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के है तथा एक प्रकरण आई.पी.सी. की धारा मे दर्ज होना बताया गया है। धारा 13 आर.पी.जी.ओ के प्रकरण देषता वश झूठे बनाये गये है। आई.पी.सी. का प्रकरण निर्णय हो चुका है, जिसमे गैरसायल को प्रोबेशन दिया गया है। गुण्डा एक्ट की कार्यवाही एक वर्ष मे 3 प्रकरण आई.पी.सी. के दर्ज होने पर ही की जा सकती है। इस कारण गैरसायल के विरूद्व उक्त कार्यवाही विधि विरूद्व व न्याय के सिद्वान्तो के परे होने से खारिज होने योग्य है। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे रूलिंग 2000 (1) R.Cr.D.380 (Raj.) Purkha Ram vs State of Rajasthan प्रस्तुत कर, गैरसायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विरूद्व ए.पी.पी. द्वारा कहा गया कि गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के 3 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। जबकि 2 प्रकरणो मे गुण्डा एक्ट की परिभाषा मे गैरसायल का आना पूर्णतया सिद्व है।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे मे प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ मे वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त 4 प्रकरणो मे से 3 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रकरण मे चस्पा नही होती है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री रामहेत पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 3 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री रामहेत पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मोठपुर से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री रामहेत पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मोठपुर से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.2.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना मे जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मोठपुर से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ